

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 17/2025

तारीख दायर-06.08.2025

तारीख निर्णय-27.02.2023

1. श्रीमती भंमरी पुत्री नाथू उर्फ नाथ डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

.....वादीया



बनाम

1. श्रीमती धनु पुत्री नाथू उर्फ नाथ पत्नी डूगा डांगी निवासी बनौडा तहसील झल्वाडिया जिला सलूमबर (राज.)
2. श्री नंगा पिता नाथू उर्फ नाथ डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
3. श्रीमती मोती पुत्री नाथू उर्फ नाथा पत्नी शंकर डांगी निवासी जावरडा तहसील सलूमबर जिला सलूमबर।
4. श्रीमती गंगा पत्नी स्व० जिवा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
5. श्रीमती देवू पुत्री स्व.जीवा डांगी निवासी फिला तहसील कुराबड जिला उदयपुर।
6. श्रीमती बाबरी पुत्री स्व. जीवा डांगी निवासी खेडा तहसील कुराबड जिला उदयपुर
7. श्रीमती गोमी पत्नी स्व० उदा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
8. नाबालिग पुत्र प्रकाश पिता स्व० उदा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर जरिये संरक्षक हितेषी वली माता श्रीमती गोमी पत्नी स्व० उदा डांगी पत्नी स्व. उदा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया।
9. श्री हमेरा पिता भेरा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
10. श्री हिरा पिता भेरा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
11. श्रीमती खेमी पुत्री नंगा पत्नी देवा डांगी निवासी भुतिया तहसील कुराबड जिला उदयपुर।
12. श्री डाया पिता मावा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
13. श्री सवा पिता नंगा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
14/1 दोली पुत्री पेमा पत्नी लाल डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूमबर।
14/2 गीता पुत्री पेमा पत्नी हिरा डांगी निवासी पानी कोटडा तहसील सलूमबर जिला सलूमबर।
14/3 डाई पत्नी पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- 11 श्री लाला पिता पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- 12 श्री काना पिता पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- 13 श्रीमती डाई पत्नी पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- 14 भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री नरेश स्वर्णकार

प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा



निर्णय

पटवार क्षेत्र धावडी तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 115 व पुराना 134 में वर्णित आराजी नम्बर 776/17 रकबा 2.1600 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या नया 171 व पुराना 169 में वर्णित आराजी नम्बर 128 रकबा 0.4536 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 129 रकबा 0.0432 हैक्टेयर आराजी नम्बर 133 रकबा 0.0756 हैक्टेयर आराजी नम्बर 235 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी नम्बर 253 रकबा 0.1404 हैक्टेयर आराजी नम्बर 357 रकबा 0.0756 हैक्टेयर आराजी नम्बर 426 रकबा 0.0864 हैक्टेयर किता 07 कुल रकबा 0.9720 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या नया 172 व पुराना 170 में वर्णित आराजी नम्बर 127 रकबा 0.0108 हैक्टेयर आराजी नम्बर 31 रकबा 0.9828 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.9936 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजिया भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने वादपत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार हैं। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा धावडी पटवार क्षेत्र धावडी तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 115 व पुराना 134 में वर्णित आराजी नम्बर 776/17 रकबा 2.1600 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या

नया 171 व पुराना 169 में वर्णित आराजी नम्बर 128 रकबा 0.4536 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 129 रकबा 0.0432 हैक्टेयर आराजी नम्बर 133 रकबा 0.0756 हैक्टेयर आराजी नम्बर 235 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी नम्बर 253 रकबा 0.1404 हैक्टेयर आराजी नम्बर 357 रकबा 0.0756 हैक्टेयर आराजी नम्बर 426 रकबा 0.0864 हैक्टेयर कित्ता 07 कुल रकबा 0.9720 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या नया 172 व पुराना 170 में वर्णित आराजी नम्बर 127 रकबा 0.0108 हैक्टेयर आराजी नम्बर 31 रकबा 0.9828 हैक्टेयर कित्ता 02 कुल रकबा 0.9936 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

उपखण्ड आंधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)

वाद डिकी

14. श्रीमती भंमरी पुत्री नाथू उर्फ नाथ डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)



बनाम

- 2 श्रीमती धनु पुत्री नाथू उर्फ नाथ पत्नी डुगा डांगी निवासी बनौडा तहसील झल्लारा जिला सलूमबर (राज.)
15. श्री नंगा पिता नाथू उर्फ नाथ डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
16. श्रीमती मोती पुत्री नाथू उर्फ नाथा पत्नी शंकर डांगी निवासी जावरडा तहसील सलूमबर जिला सलूमबर।
17. श्रीमती गंगा पत्नी स्व० जिवा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
18. श्रीमती देवू पुत्री स्व.जीवा डांगी निवासी फिला तहसील कुराबड जिला उदयपुर।
19. श्रीमती बाबरी पुत्री स्व. जीवा डांगी निवासी खेडा तहसील कुराबड जिला उदयपुर
20. श्रीमती गोमी पत्नी स्व० उदा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
1. नाबालिग पुत्र प्रकाश पिता स्व० उदा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर जरिये संरक्षक हितेषी वली माता श्रीमती गोमी पत्नी स्व० उदा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया।
2. श्री हमेरा पिता भेरा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
3. श्री हिरा पिता भेरा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
4. श्रीमती खेमी पुत्री नंगा पत्नी देवा डांगी निवासी भुतिया तहसील कुराबड जिला उदयपुर।
5. श्री डाया पिता मावा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
6. श्री सवा पिता नंगा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
- 14/1 दोली पुत्री पेमा पत्नी लाल डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलूमबर।
- 14/2 गीता पुत्री पेमा पत्नी हिरा डांगी निवासी पानी कोटडा तहसील सलूमबर जिला सलूमबर।
- 14/3 डाई पत्नी पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- श्री लाला पिता पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- श्री काना पिता पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- श्रीमती डाई पत्नी पेमा डांगी निवासी धावडी तहसील लसाडिया जिला सलूमबर
- भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)


.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री नरेश स्वर्णकार
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.02.2026 को प्रस्तुत होने पर लसाडिया के खाता संख्या नया 115 व पुराना 134 में वर्णित आराजी नम्बर 776/17 रकबा 2.1600 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या नया 171 व पुराना 169 में वर्णित आराजी नम्बर 128 रकबा 0.4536 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 129 रकबा 0.0432 हैक्टेयर आराजी नम्बर 133 रकबा 0.0756 हैक्टेयर आराजी नम्बर 235 रकबा 0.0972 हैक्टेयर आराजी नम्बर 253 रकबा 0.1404 हैक्टेयर आराजी नम्बर 357 रकबा 0.0756 हैक्टेयर आराजी नम्बर 426 रकबा 0.0864 हैक्टेयर किता 07 कुल रकबा 0.9720 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या नया 172 व पुराना 170 में वर्णित आराजी नम्बर 127 रकबा 0.0108 हैक्टेयर आराजी नम्बर 31 रकबा 0.9828 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.9936 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूमबर (राज.)